भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं .727**

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

**वाहन स्क्रैपेज नीति का कार्यान्वयन**

727. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहन स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने पुराने वाहन स्क्रैप किए गए हैं;

(ख) इस नीति के अंतर्गत नए वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को क्या लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग) राजस्थान में इस नीति के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) राजस्थान में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ङ) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यवार, विशेषकर राजस्थान में, कितने स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी(

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) में कुल 1,32,612 सरकारी वाहन और 1,25,721 निजी वाहन स्क्रैप किए गए हैं। संबंधित राज्यों में स्थापित आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए वाहनों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) अपने वाहनों को स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले नागरिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं: -

(i) साकानि 714 (अ), दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान है कि यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ii) साकानि 720 (अ), दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत किए गए वाहन के लिए मोटर वाहन कर में छूट (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) का प्रावधान है। बशर्ते कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी।

(iii) साकानि 200 (अ), दिनांक 26.03.2025 में सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के लिए ऐसे प्रमाण पत्र के एवज में मोटर वाहन कर में पचास प्रतिशत तक की रियायत का प्रावधान है, जो मास उत्सर्जन मानक भारत स्टेज I (बीएस-I) मानदंडों और पहले के मास उत्सर्जन मानक मानदंडों के अनुसार विनिर्मित हैं और सभी मध्यम तथा भारी माल मोटर वाहन और सभी मध्यम तथा भारी यात्री मोटर वाहन, जो मास उत्सर्जन मानक भारत स्टेज II (बीएस-II) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित हैं।

(ग) राजस्थान राज्य में, 3 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) परिचालन में हैं, जहां अब तक 7,822 निजी वाहनों को स्क्रैप किया गया है और 2 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) परिचालन में हैं, जहां 47,789 वाहनों का परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान ने स्क्रैप किए गए वाहन के 'जमा प्रमाणपत्र' के आधार पर खरीदे गए नए वाहनों पर मोटर वाहन कर में छूट की घोषणा और कार्यान्वयन किया है, जो इस प्रकार है:

(i) परिवहन वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर में 15% छूट

(ii) गैर-परिवहन वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर में 25% छूट

(घ) वाहन स्क्रैपिंग नीति में पुराने, अनफिट प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए परितंत्र (इकोसिस्टम) तैयार करने हेतु प्रोत्साहन/हतोत्साहन प्रणाली शामिल है। इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए गए हैं। वाहन स्क्रैपिंग नीति का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ङ) दिनांक 16.07.2025 तक, देश भर में 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 106 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) परिचालन में हैं। परिचालनरत आरवीएसएफ का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **परिचालनरत आरवीएसएफ** |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2 |
| असम | 4 |
| बिहार | 2 |
| चंडीगढ़ | 1 |
| छत्तीसगढ | 2 |
| दिल्ली | 1 |

| | |
|---|---|
| गोवा | 1 |
| गुजरात | 7 |
| हरियाणा | 17 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 |
| कर्नाटक | 2 |
| लद्दाख | 1 |
| मध्य प्रदेश | 5 |
| महाराष्ट्र | 8 |
| ओडिशा | 2 |
| पंजाब | 4 |
| राजस्थान | 3 |
| तेलंगाना | 3 |
| उत्तर प्रदेश | 32 |
| उत्तराखंड | 5 |
| पश्चिम बंगाल | 2 |
| **कुल** | **106** |

**अनुलग्नक**

**'वाहन स्क्रैपेज नीति का कार्यान्वयन' के संबंध में डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 727 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**<u>प्रत्येक राज्य में स्थापितआरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए निजी वाहनों का राज्य-वार विवरण</u>**

| **राज्य / संघ राज्य क्षेत्र** | **राज्य में स्थापित आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए निजी वाहन** |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1506 |
| असम | 1277 |
| बिहार | 591 |
| चंडीगढ़ | 3159 |
| छत्तीसगढ | 432 |
| गोवा | 158 |
| गुजरात | 10239 |
| हरियाणा | 17590 |
| हिमाचल प्रदेश | 294 |
| कर्नाटक | 3816 |
| लद्दाख | 4 |
| मध्य प्रदेश | 3303 |
| महाराष्ट्र | 1893 |
| ओडिशा | 1458 |
| पंजाब | 2618 |
| राजस्थान | 7822 |
| तेलंगाना | 59 |
| उत्तर प्रदेश | 60626 |
| उत्तराखंड | 1901 |
| पश्चिम बंगाल | 6975 |
| **कुल** | **125721** |

**<u>प्रत्येक राज्य में स्थापित आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए सरकारी वाहनों का राज्य-वार विवरण</u>**

| **राज्य / संघ राज्य क्षेत्र** | **राज्य में स्थापित आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए सरकारी वाहन** |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 9408 |

| | |
|---|---|
| असम | 5485 |
| बिहार | 1536 |
| चंडीगढ़ | 5068 |
| छत्तीसगढ | 673 |
| गोवा | 71 |
| गुजरात | 3919 |
| हरियाणा | 17410 |
| हिमाचल प्रदेश | 190 |
| कर्नाटक | 1827 |
| लद्दाख | 201 |
| लक्षद्वीप | 6 |
| मध्य प्रदेश | 3172 |
| महाराष्ट्र | 16360 |
| ओडिशा | 1049 |
| पंजाब | 1484 |
| राजस्थान | 6578 |
| सिक्किम | 149 |
| तेलंगाना | 1112 |
| उत्तर प्रदेश | 53002 |
| उत्तराखंड | 2039 |
| पश्चिम बंगाल | 1873 |
| **कुल** | **132612** |

*****